

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4147
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन क्षेत्र में मछली पकड़ने के पश्चात् होने वाली हानियां

4147. श्री बी. मणिकक्कम टैगोर :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास अपर्याप्त शीत श्रृंखला और परिवहन अवसंरचना के कारण मत्स्यपालन क्षेत्र में मछली पकड़ने के पश्चात् होने वाली हानि के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
- (ख) क्या समुद्री और अन्तर्देशीय मत्स्यपालन को प्रभावित करने वाले प्लास्टिक, मलजल अथवा रासायनिक अपवाह जैसे प्रदूषण वाले स्थलों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जा रहा है,
- (ग) क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, तटीय निर्माण और शहरीकरण के कारण पर्यावासों के विनाश से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है;
- (घ) क्या मानसून की अनिश्चितता अथवा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित मछुआरों की सहायता के लिए कोई निधि या योजना है;
- (ङ) क्या डीप सी ट्रॉलिंग, जिसके प्रतिकूल पारिस्थितिकीय और आर्थिक परिणाम होते हैं, को विनियमित करने अथवा चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कोई नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित है;
- (च) क्या सरकार की जलकृषि क्षेत्रों का विस्तार करने और औद्योगिक और शहरी विस्तार के कारण मछली पालन क्षेत्रों के कम होने की समस्या का समाधान करने हेतु प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और
- (छ) क्या मछुआरों को वहनीय पद्धतियों और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने के लिए विस्तार और परामर्शी सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC)] के माध्यम से मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में पोस्ट-हारवेस्ट नुकसान का आकलन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि समुद्री मात्स्यिकी में औसतन 9.3% और अंतर्देशीय मात्स्यिकी में 8.4% पोस्ट-हारवेस्ट नुकसान होता है। इसके अलावा, अध्ययन में अपर्याप्त कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ प्रबंधन पद्धतियों की कमी और बाजार पहुँच में देरी के कारण हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाले भारी नुकसान की सूचना दी गई है।

(ख) और (ग): भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (FSI) भारतीय तटीय और अपतटीय जल में ALDFG के उन हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कर रहा है जो समुद्री मात्स्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रमुख मात्स्यिकी क्षेत्रों में प्रदूषण के प्रकार - प्लास्टिक, मलजल, या रासायनिक अपवाह - के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए जिओग्राफिक इंफोरमेशन सिस्टम (GIS) मैपिंग का उपयोग किया जा रहा है। प्राप्त निष्कर्षों से फिश स्टॉक्स, मत्स्यन आजीविका और समग्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर लक्षित शमन उपायों, नीतिगत हस्तक्षेपों और जागरूकता कार्यक्रमों को सहायता प्राप्त होगी। मात्स्यिकी विकास और प्रबंधन के मामले में आवश्यकतानुसार, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मात्रिकी और जल कृषि के विकास हेतु मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की सहायता के लिए जल कृषि फसल बीमा सहित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं में (i) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), (ii) फिशरीज़ एंड एकाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (FIDF) और (iii) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

(ङ): भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र [एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (EEZ)] में पेयर्ड बॉटम टॉलिंग या बुल टॉलिंग और फिशिंग में LED लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध है। सभी समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी सलाह दी गई है कि वे प्रादेशिक जल (टेरिटोरियल वाटर्स) के भीतर और बाहर पेयर्ड या बुल टॉलिंग और फिशिंग के लिए LED लाइटों के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। बॉटम टॉलिंग एक फिशिंग की विधि है जिसका उपयोग लक्षित बेचिक मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है और बाय-कैच रिडक्शन उपकरण जो चयनात्मक उपकरण होते हैं के माध्यम से गैर-लक्षित प्रजातियों की पकड़ को कम किया जाता है जैसे कि श्रिम्प बॉटम टॉल में उपयोग किए जाने वाले टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TED)। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TED) के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित MFRAAs की समीक्षा और संशोधन करने की सलाह दी है। सभी नौ तटीय राज्यों, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने TED के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए अपने MFRAAs में संशोधन किया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में फिशिंग के लिए बॉटम टॉल के उपयोग की अनुमति नहीं है। TED के कार्यान्वयन को 100% वित्तीय सहायता (60% केंद्रीय + 40% राज्य) के साथ PMMSY योजना के अंतर्गत शामिल कर सहायता प्रदान की गई है।

(च): प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ मात्रिकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने, उच्च आय उत्पन्न करने और संगठित तरीके से मात्रिकी और जल कृषि के विकास और विस्तार में तेजी लाने के लिए ज़ोनिंग और संगठित तरीके से परिचालन सिद्धांत पर क्लस्टर-आधारित वृष्टिकोण अपनाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(छ): भारतीय मात्रिकी सर्वेक्षण (FSI) नियमित रूप से ऑनबोर्ड प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यशालाएँ और ग्राम-स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो जिम्मेदार फिशिंग के तरीकों, बाईकैच में कमी, संवेदनशील आवासों के संरक्षण और समुद्री मत्स्यन के नियमों के अनुपालन पर केंद्रित हैं। FSI ईंधन-कुशल इंजन, ऊर्जा-बचत वाले फिशिंग उपकरण, बेहतर मत्स्य प्रबंधन और पोस्ट-हारवेस्ट नुकसान को कम करने के लिए संरक्षण तकनीकों जैसी जलवायु-प्रतिरोधी तकनीकों को भी बढ़ावा दे रहा है। मत्स्य वितरण पैटर्न में बदलाव, मौसमी संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक मौसम की घटनाओं की पूर्व चेतावनी पर वैज्ञानिक सलाह स्थानीय संपर्कों के माध्यम से मछुआरे नेटवर्क तक पहुँचाई जाती है। इन पहलों का उद्देश्य मछुआरा समुदायों की परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता को बढ़ाना, संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करना और जलवायु परिवर्तन के आलोक में आजीविका में सुधार करना है।
